10
भारत में ठेका श्रम

प्रस्तावना

10.1 ठेका श्रम एक महत्वपूर्ण तथा बढ़ता हुआ रोजगार है। यह लगभग सभी उद्योगों कृषि, संबद्ध क्षेत्रों तथा सेवा क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें सामान्यतयः मध्यस्थ के माध्यम से कामगार लगे हुए हैं तथा इसमें उपक्रम व ठेकेदार जिसमें उप ठेकेदार भी शमिल है, तथा कामगार के बीच तिकोना संबंध होता है। इन कामगारों की संख्या लाखों (मिलियन) में है जो सामान्यतया असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा इस श्रेणी के कामगारों को जिनकी दशा अत्यन्त खराब पाई गयी, को विधायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टैण्डर्ड वैक्यूम रिफाइनरी कम्पनी के मामले में दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप ठेकाश्रम (विनियम तथा समापन) अधिनियम, 1970 अधिनियमित किया गया ।

ठेका श्रम (विनियम, तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970

10.2 ठेका श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के कतिपय प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के नियोजन को विनियमित करने तथा कतिपय परिस्थितियों में इसके उत्सादन और इससे संबंधित मामलों के लिए विधायी पुस्तक में लाया गया। अधिनियम और नियम 10.2.1971 को लागू हुए ।

10.3 अधिनियम प्रत्येक उस स्थापना / ठेकेदार पर लागू होता है जहाँ पिछले 12 महीनों में किसी दिन 20 अथवा 20 से अधिक कामगार नियोजित है या नियोजित थे तथा प्रत्येक ठेकेदार जो पिछले 12 महीनों में किसी दिन 20 अथवा 20 से अधिक कामगार नियोजित करता है या नियोजित किए। जिन स्थापनाओं में कार्य विरामी तथा मौसमी प्रकृति का होता है उनमें यह अधिनियम लागू नहीं होता है। यदि किसी स्थापना में कार्य विरामी तथा मौसमी प्रकृति का होता है तो उसको तभी अधिनियम के अन्तर्गत कवर्ड किया जायेगा यदि किया गया कार्य वर्ष में क्रमशः 120 दिन या 60 दिन होता है। अधिनियम सरकारी तथा स्थानीय प्राधिकरणों की स्थापनों में भी लागू होता है।

10.4 केन्द्र और राज्य सरकारें अपने कार्यक्षेत्राधीन आने वाली प्रत्येक स्थापना पर अधिनियम और नियमों को लागू करती है ।

केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार बोर्ड

10.5 अधिनियम के प्रशासन के बारे में उठने वाले विषयों पर संबंधित सरकारों को सलाह देने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्डों के गठन की आवश्यकता है। बोर्डों को समुचित उपयुक्तता के अनुसार सीमितियाँ गठन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

10.6 केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड-एक त्रिपक्षीय निकाय को विगत 24 जून, 2002 को पुनर्गठित किया गया और गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए रखा गया था। बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति 10 मई, 2002 को तीन वर्ष के लिए की गई। केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड (सी.ए.सी.एल.बी.) की अब तक 56 बैठकें हो चुकी है। अन्तिम बैठक 6 फरवरी, 2004 को सम्पन्न हुई।

10.7 मौजूदा केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की वर्ष के दौरान तीन बैठकें हुई तथा कुछ स्थापनाओं में ठेका श्रम प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इन बैठकों में अधिनियम के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई।

विनियमक उपाय

10.8 प्रत्येक स्थापना के प्रमुख नियोक्ता को समुचित प्राधिकारी के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है। प्रत्येक ठेकेदार ठेका श्रम के माध्यम से किसी कार्य को न लेगा न निष्पादित करेगा जब तक यह लाइसेंस अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के अनुरूप न हो। ठेकेदार द्वारा चूक करने पर मुख्य नियोक्ता को अधिनियम के उपबंधों और नियमों का उल्लंघन करने का उत्तरदायी बनाया जाता है । नियमों/अधिनियम या इसके अंतर्गत किसी नियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 माह का कारावास और अधिकतम 1000/- रूपये तक के दण्ड का प्रावधान है ।

प्रतिबंध / छूट

10.9 ठेका श्रमिक के लाभ के लिए अधिनियम के अन्तर्गत किए गए विधायी उपायों के अतिरिक्त 'समुचित सरकार' केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड जैसा भी मामला हो, के परामर्श के बाद किसी स्थापना में किसी प्रक्रिया/प्रचालन अथवा अन्य काम में ठेका श्रम के नियोजन को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निषिद्ध कर सकती है।

10.10 केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न स्थापनाओं में कार्य की विभिन्न श्रेणियों में ठेका श्रम के नियोजन पर रोक लगा दी है। अधिनियम के प्रारम्भ होने से अब तक 61 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निषेध अधिसूचनाएं तालिका 1 में दी गयी है ।

10.11 'समुचित सरकार' निर्धारित शर्तों व प्रतिबंधों पर किसी स्थापना या स्थापना वर्ग या ठेकेदार की किसी श्रेणी को अधिनियम या इसके अन्तर्गत रचित नियमों के प्रावधानों को लागू करने से छूट प्रदान कर सकती है। केन्द्रीय क्षेत्र में इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थापनाओं को छूट प्रदान करने के लिए 11 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है।

प्रवर्तन

10.12 केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सी.आई.आर.एम.) को निरीक्षकों, लाइसेंस अधिकारियों, पंजीकृत अधिकारियों तथा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अपील प्राधिकारियों के माध्यम से अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत रचित नियमों के प्रावधानों को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

10.13 आर्थिक उदारता के चलते और ठेका श्रम पर सामाजिक भागीदारों के साथ साथ न्यायालय के निर्णयों पर भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ठेका श्रम (विनिमय एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गयी । किसी भी स्थापना की नोनकोर गतिविधियों की आउटसोर्सिंग हेतु ठेका श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने अधिनियम में संशोधन के लिए कुछ सिफारिशें कीं । तदनुसार वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के इस उच्च प्रतियोगी विश्व बाजार में उद्योगों को बनाए रखने की दृष्टि से अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है किन्तु इसके साथ ही ठेका श्रम के हित में, उनके वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी सरकार के विचाराधीन है ।

तालिका - I

ठेका श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन वर्ष 2003-04 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा दिनांक	जिन स्थापनाओं/ उद्योगों के लिए अधिसूचना जारी की गयी	निषिद्ध कार्य/जाँच
1.	एस/ ओ 1168 (ई) दिनांक 27 दिसम्बर 2000 की अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए अधिसूचना सं. एस 16014/19/2001 एल डब्ल्यू दिनांक 9 .6.03	स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की मनोहरपुर की खदानें, चिरिया सिंहभूमि जिला (पश्चिम) बिहार	लौह अयस्क एकत्रण व तोड़ना
2.	सं0 एस-16014/337/99-एल डब्ल्यू दिनांक 19.2.2004	झील, साइडिंग, कोचिंग काम्पलैक्स एंड हावड़ा/बामनगची डीजल शेड	सफाई कर्मचारी का कार्य जिसमें यार्ड कम्पलेट फार्म, स्टोर, कार्यालय और बगीचे की सफाई एवं नालियाँ, शोचालय, धूल पर छिड़काव, रद्दी और कूड़ा करकट एकत्रित करना और लारी द्वारा अथवा रेलवे वैगन द्वारा प्रतिदिन उनका निपटान ।
3.	सं0 यू-23013/8/01-एल डब्ल्यू दिनांक 19.2.2004	पूर्वी रेलवे कोलकाता की कंछपारा वर्कशाप	<u>लोको काम्पलैक्स</u> दुकानों का कबाड़, लोका काम्लैक्स में स्थित विभिन्न स्थानों का कूड़ा करकट/गाद आदि एकत्रित कर निश्चित कूड़ाघरों में डालना 2. एकत्रित किये गये कूड़ाघर, गाद और स्क्रैप आदि की छंटनी करना 3. कूड़ादारों की सफाई <u>कैरिज एवं वैगन काम्पलैक्स</u> 4. कैरिज और वैगन

			काम्पलैक्स की विभिन्न दुकानों से राख एवं कीचड़ छटांई के बाद सभी कारखानों के रखरखाव और कूड़ा करकट को हटवाना और उसे वैगन / ट्रक में लदवाना आदि शामिल हैं । 5. सभी कारखानों की राख और कूड़ा करकट सहित कीचड़ आदि को निश्चित स्थान पर गिरवाना । 6. वर्कशाप एरिया के भीतर विभिन्न दुकानों के लिए कोयला/कोक/बालू अथवा मिट्टी उतरवाना और कोल/कोक को बिना क्रेन के भरवाना 7. कोयला के ढेर लगवाना / समतल करना 8. कोयला और कोक से स्लेट एवं पत्थरों को अलग करना और एकत्रित करना 9. कर्मशाला का फर्श चमकाना
4.	सं0 एस-16014/324/2001 एल डब्ल्यू दिनांक 8 मार्च, 2004	सत्रह मेट्रो स्टेशन, टालीगंज, सेटेलाइट आरक्षण कार्यालय, टालीगंज का स्वास्थ्य यूनिट और फायर स्टेशन और इसके अन्य कार्यालय सिवाय कार शेड और मेट्रो रेलवे कोलकाता के क्षेत्र के	सफाई वाला

तालिका-II

ठेका श्रम (आर. एंड ए.) अधिनियम 1970 का प्रवर्तन

क्रम स.	मद	वर्ष				
		1998	**1999**	**2000**	**2001**	**2002-03**
1.	मुख्य नियोजकों को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों की संख्या	639	670	658	619	796
2.	ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	5471	6632	7734	8582	7081
3.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	4263	5281	5479	6052	5970
4.	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	65509	85936	83414	94685	82041
5.	दायर अभियोजनों की संख्या	3147	3805	3357	3671	3453
6.	सिद्ध दोषों की संख्या	2060	2019	2126	2071	2188
7.	लाइसेंस के द्वारा शामिल किए गए ठेका श्रमिकों की संख्या	664216	762425	773849	926969	1327298
8.	निरस्त/रद्द किए गए लाइसेंसों की संख्या	1669	1099	3562	3998	6552
9.	निरस्त किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की संख्या	शून्य	शून्य	2	शून्य	28

तालिका-III

वेतन के भुगतान से संबंधित ठेका श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियमायली 1971 के नियम 25 (2)(v) (क) तथा (ख) के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षो के दौरान प्राप्त/निपटाये गए मामलों की कुल संख्या

वर्ष	**25 (2)(v) (क) तथा (ख) के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षो के दौरान प्राप्त/निपटाये गए मामलों की कुल संख्या**	**जारी किए गए आदेश**
1998-99	15	03
1999-00	35	05
2000-01	23	20
2001-02	46	22
2002-03	23	06

** ठेका श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 के नियम 25 (2) (v) (क) में अधिसूचना संख्या जी एस आर 41 (ई) दिनांक 21 जनवरी, 1999 के द्वारा संशोधन करके मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की बजाय उप-श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई।